भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 388
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः एमएसपी और पीएम फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन
388. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ नहीं मिल रहा है और वे दिल्ली से बाहर अपनी फसल उपज बेचने के लिए बाध्य हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू न किए जाने से दिल्ली में कितने किसान प्रभावित हुए हैं और कुल कितनी फसल उपज दिल्ली से बाहर बेची गई है;
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के किसानों को भी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिले और इन योजनाओं के कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): प्रत्येक वर्ष, सरकार, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सहित संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। सरकार की मूल्य नीति, एमएसपी पर किसानों की उपज खरीदने का प्रस्ताव के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। तथापि, किसान अपनी उपज सरकारी खरीद एजेंसियों को एमएसपी पर या खुले बाजार में, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो, बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के घटक, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत फसल कटाई अवधि के दौरान जब कभी भी कीमतें एमएसपी से कम हो जाती है तब सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंडों के अनुरूप पूर्व-पंजीकृत किसानों से सीधे अधिसूचित तिलहन, दलहन और कोपरा की खरीद की जाती है। यह योजना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है, जो खरीदी गई जिन्सों को मंडी कर से छूट देने और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार बोरियों सहित लॉजिस्टिक्स व्यवस्था में केंद्रीय नोडल एजेंसियों की सहायता करने, राज्य एजेंसियों के लिए कार्यशील पूंजी, पीएसएस संचालन के लिए परिक्रामी निधि के निर्माण आदि के लिए सहमत होते हैं। तथापि, पीएसएस के तहत दिल्ली सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, का शुभारंभ वर्ष 2016 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बुआई से पूर्व से फसलोपरांत तक अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल हानि से किसानों की रक्षा करने और फसल हानि की स्थिति में किसानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। दिल्ली राज्य ने अभी तक इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया है।

******